न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

प्रार्थी
रविशंकर रावल पुत्र श्री छगनलाल, जाति– रावल, निवासी– पालडी 'आर', तहसील व जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
1.ग्राम पंचायत, रामपुरा जरिए सरपंच, ग्राम पंचायत, रामपुरा, तह. व जिला– सिरोही
2.ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, रामपुरा, तह. व जिला– सिरोही
3.मुन्नालाल पुत्र भुराराम जी, जाति–रावल, निवासी–पालडी 'आर', तहसील–सिरोही
4.पंकुदेवी पत्नी स्व. श्री मंछाराम, जाति–रावल, निवासी–पालडी 'आर,, तह. सिरोही
5.गीतादेवी पुत्री स्व. श्री मंछाराम पत्नी वरदीचंदजी, जाति–रावल, निवासी–पालडी 'आर', तह. सिरोही
6.सीतादेवी पुत्री स्व. श्री मंछाराम पत्नी कान्तिलाल जी, जाति–रावल, निवासी–मगरीवाडा, तहसील– रेवदर,,जिला– सिरोही
7.विमा पुत्र स्व. श्री मंछाराम पत्नी हंसाराम जी, जाति–रावल, निवासी–अरठवाडा, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही
8.धनिया पुत्र स्व. श्री मंछाराम पत्नी हंसाराम जी, जाति–रावल, निवासी– सिन्दरथ, तहसील– सिरोही, जिला–सिरोही
9.ईका पुत्री स्व. श्री मंछाराम पत्नी अर्जुन जी रावल, जाति– रावल, निवासी–कालन्द्री, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही
10.गोविन्द पुत्र स्व. श्री मंछाराम, जाति–रावल, निवासी–पालडी 'आर', तहसील–सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 40/2021

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः
1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, अप्रार्थी संख्या– 3 व 5 से 10 की ओर से

–ः निर्णय ः– **दिनांक 30 नवम्बर, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा श्री भूराराम पुत्र वनाजी, जाति– रावल, निवासी–पालडी को रामपुरा आबादी क्षेत्र में घास फूस रखने हेतु क्षेत्रफल 40x40 वर्गफीट कुल क्षेत्रफल 1600 वर्गफीट भूमि का जारी कच्चा परवाना नम्बर 24 दिनांक 03.1.1965 को निरस्त कराने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 3 व 5 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 5 से 10 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मेडतिया ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कि प्रार्थी के स्वामित्व तथा कब्जे का एक भूखण्ड गाँव पालडी आर, तहसील सिरोही में आया हुआ है, जिसका पट्टा संख्या 37 मिसल संख्या 73 / 1964 दिनांक 03 जनवरी, 1965 का ग्राम पंचायत द्वारा रतनाजी भीखाजी रावल निवासी पालडी के हक में जारी किया है, इस पट्टेशुदा भूखण्ड की चतुर्दशी उत्तर में रावल शंकरलाल का मकान, दक्षिण में लुबाजी का वाडा, पूर्व में अरठ बनेसा का जाव व पश्चिम में आम रास्ता है तथा नाप उत्तर–दक्षिण 60 फीट व पूर्व–पश्चिम 25 फीट है। उक्त नाप व चतुदर्शी का भूखण्ड पट्टाधारी श्री रतनाजी उर्फ रतीलालजी रावल ने प्रार्थी के पिता श्री छगनलाल पुत्र सदारामजी रावल निवासी पालडी आर को जरिए पंजीकृत विकय विलेख संख्या 18/1996 दिनांक 03.01.1996 से विक्रय कर कब्जा सुपर्द किया था। प्रार्थी के पिता श्री छगनलाल रावल ने उक्त सम्पत्ति प्रार्थी को जरिए पंजीकृत बख्शीशनामा संख्या 1148/2015 दिनांक 11.06.2015 को हस्तान्तरितं कर कब्जा सुपुर्द किया तथा प्रार्थी ने कब्जा प्राप्त किया। उक्त सम्पत्ति प्रार्थी के स्वामीत्व तथा कब्जे की है, तथा प्रार्थी इसका निर्वाध रूप से उपयोग व उपभोग कर रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। प्रार्थी के उक्त भूखण्ड में आने जाने हेतु रास्ता पश्चिम दिशा में है। तथा प्रार्थी के पिता छगनलालजी तथा पुर्व पट्टा धारी उक्त रास्ते से ही अपने भूखण्ड में आते जाते रहे है प्रार्थी के पिता के पट्टा शुदा भूमि के पश्चिम में आम रास्ता की भूमि है, जो पट्टा तथा विकय विलेख दस्तावेजों से पुर्णतया साबित है तथा यह तथ्य निर्विवाद है ग्राम पंचायत को उक्त रास्ते की भूमि का आबंटन किसी भी अन्य व्यक्ति को करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी अप्रार्थी संख्या एक ने बिना किसी अधिकार के उक्त रास्ते की भूमि का एक कच्या परवाना संख्या 24 दिनांक 03.01.1965 का स्वर्गीय श्री भूराराम पुत्र बनाजी निवासी पालडी आर के हक में धारा 31 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जारी किया गया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। स्वर्गीय श्री भूराराम पुत्र बनाजी निवासी पालडी आर का स्वर्गवास हो चुका है एवं अप्रार्थी संख्या 3 से 10 जो कि स्वर्गीय श्री भूरारामजी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी एवं वारिसान है। यह कि धारा 31 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमि आवंटन का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उक्त अधिकार राज्य सरकार / तहसीलदार को प्राप्त है। ग्राम पंचायत, रामपुरा ने बिना किसी अधिकार के उक्त परवाना श्री भूराराम पुत्र वनाजी निवासी पालडी आर के हक में जारी किया गया है, जो प्रारम्भतः शून्य है। यह कि कच्चा परवाना संख्या 24 दिनांक 03.01.1965 की भूमि पर वर्ष 1986 तक किसी भी व्यक्ति का कब्जा नहीं रहा है, उक्त भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में ही होता चला आ रहा था। वर्ष 1986 में अप्रार्थी संख्या 3 ने उक्त परवाना के आधार पर रास्ते की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर दिया तथा प्रार्थी के पट्टाशुदा भूमि में आने जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध कर दिया। प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त रास्ते को खुलवाए जाने तथा अप्रार्थी संख्या 3 से 10 के अतिक्रमण को हटवाए जाने हेतु आवेदन किए गये, जिस पर जॉच की गई तथा जॉच के दौरान यह पाया गया कि अप्रार्थी संख्या 3 से 10 ने उक्त परवाना की आड में अवैध कब्जा कर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है। जॉच में यह भी पाया गया कि स्वर्गीय श्री भूराराम पुत्र वनाजी रावल के हक में परवाना विधि विरूद्ध तरीके से जारी किया था व ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उक्त परवाना जारी किया जाना पाए जाने पर जिला कलेक्टर महोदय, सिरोही ने उक्त परवाना को निरस्त कर दिया था तथा अप्रार्थी संख्या 3 से 10 को वादग्रस्त भूमि से कब्जा हटाए जाने का आदेश जारी किया गया था। जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश की पालना में ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस कमांक 96–97/336 दिनांक 22.05.1996 जारी कर अवैध अतिक्रमण हटाए जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 3 को नोटिस जारी किया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा जारी नोटिस कमांकः 96–97/336

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(मुहर: अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *)

दिनांक 22. 05.1000 के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 3 ने एक सिविल वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) सिरोही में प्रस्तुत किया था. जिसके याद संख्या 34/1996 है। उक्त वाद में दिनांक 07.12.2004 को निर्णय पारित किया गया था। उक्त निर्णय में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 को जारी किए गए उपरोक्त नोटिस को इस आधार पर निरस्त किया गया था कि परवाना को निरस्त करने से पूर्व जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 या अन्य वारिसान को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था, लेकिन उक्त वाद में भूरारामजी रावल के हक में ग्राम पंचायत को परवाना जारी करने का अधिकार नहीं होना माना जाकर स्वामित्व की घोषणा का वाद निरस्त किया गया था। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा जारी कच्चा परवाना संख्या 24 दिनांक 03.1.1965 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 3 व 5 से 10 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुराणा ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा स्वर्गीय श्री भूराराम जी रावल के हक में नियमानुसार कच्चा परवाना संख्या 24 दिनांक 03.1.1965 को जारी किया गया है। उक्त कच्चा परवाना संख्या 24 दिनांक 03.1.1965 से संबंधित भूमि रास्ते की भूमि नही है तथा न ही इस भूमि का कभी भी रास्ते के रुप में उपयोग व उपभोग हुआ है, बल्कि हकीकत यह है कि मौके पर स्वर्गीय भूराराम जी का कब्जा रहा है एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान अप्रार्थी संख्या–3 जो कि उनके पारिवारिक समझौते व सहमति के आधार पर मौके पर काबिज है तथा उक्त भूखण्ड का उपयोग व उपभोग कर रहा है। मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता अवरुद्ध नही है। प्राथी के पिता के तथाकथित पटटा शुदा भूमि के पश्चिम दिशा में आम रास्ते की भूमि होने का कथन गलत है। प्राथी द्वारा दर्शाई तथाकथित भूमि कभी भी रास्ते की भूमि नहीं रही है। गांव पालडी आर मे भूराराम वनाजी रावल के कब्जे स्वामित्व का भुखण्ड 40X40 फीट नाप का है जिसे ग्राम पंचायत रामपुरा ने कच्चा परवाना संख्या 24 के द्वारा भूराराम पुत्र वनाजी रावल को दिनांक 3.1.1955 को आवंटित किया था तब से उक्त भुखण्ड पर भुराराम पुत्र वनाजी रावल का कब्जा आधिपत्य रहा है। भुराराम पुत्र बनाजी रावल का देहान्त वर्ष 1975 के करीब हुआ है। उक्त भुराराम पुत्र बनाजी रावल के दो पुत्र कमशः मछाराम एवं मुन्नालाल है जिसमे से मछारामजी का देहान्त वर्ष 2014 में हुआ है तथा मुन्नालालजी जीवित है। उक्त भुखण्ड पारिवारिक जुबानी समझौते मे अप्रार्थी संख्या– 3 (मुन्नालालजी) के हिस्से में आया है जिससे उक्त भुखण्ड पर सन् 1970 से अप्रार्थी संख्या 3 मुन्नालालजी स्वतन्त्र रूप से काबिज है। उक्त भुखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 3 मुन्नालालजी के पुराने मकान के नलिये, घास, व अन्य सामग्री पड़ी हुई है। अप्रार्थी संख्या 3 मुन्नालालजी के कब्जे स्वामित्व एवं परवाने की भूमि की चतुदर्शी अनुसार उत्तर दिशा में अमीरामजी का भुखण्ड जिस पर वर्तमान में मकान बना हुआ है, दक्षिण दिशा में खालसा भूमि जिस पर वर्तमान में हिम्मतरामजी लुम्बारामजी रावल का मकान बना हुआ है, पूर्व दिशा में गली 12 फीट है एवं पश्चिम दिशा में आम रास्ता है। यह कि अप्रार्थी संख्या–3 भुरारामजी का पुत्र है तथा अप्रार्थी संख्या 4 ता 10 स्वर्गीय भूराराम जी के पुत्र मंछाराम जी रावल के वारिसान है। प्रश्नगत परवाना संख्या 24 दिनांक 3.1.1965 की भूमि अप्रार्थी संख्या 3 के स्वतन्त्र कब्जे स्वामित्व की भूमि है। उक्त भूमि आपसी मौखिक विभाजन से अप्रार्थी संख्या 3 मुन्नालालजी के हिस्से में आई है। जिससे उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 3 मुन्नालालजी का स्वतन्त्र मालिकाना कब्जा आधिपत्य है। यह कि धारा 31 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत को मकान व घास फूस रखने हेतु आबादी भूमि में परवाना जारी करने का अधिकार है। अन्यथा भी दिनांक 3.1.1965 से प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी संख्या 3 मुन्नालाल एवं उसके पूर्व रसाधिकारी भूराराम जी के स्वतन्त्र कब्जे स्वामित्व की भूमि है, जिसका

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

उपयोग व उपभोग गत 57 वर्षो से लगातार शान्तिं पूर्वक बिना रुकावट प्रार्थी एवं उसके पूर्वरसाधिकारीयों की जानकारी मे अप्रार्थी संख्या 3 करता आ रहा है। भूराराम जी के हक मे जारी किया गया परवाना प्रारम्भतः शुन्य होने का कथन गलत है, क्योंकि प्रश्नगत भूमि पंचायत की आबादी भूमि है एवं पंचायत की आबादी भूमि को आवंटीत करने का अधिकार ग्राम पंचायत रामपुरा को रहा है। प्रश्नगत परवाना संख्या 24 की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 3 का उसके पिता भुरारामजी के जरिये का कब्जा आधिपत्य दिनांक 03.1.1965 से लगातार चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 3 एवं उसके पूर्वरसाधिकारी भूराराम जी उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग बतौर स्वामी उनकी स्वतन्त्र ईच्छा से करते रहे है। प्रश्नगत परवाना संख्या 24 की भूमि आपसी मौखिक विभाजन से अप्रार्थी संख्या 3 मुन्नालाल के हिस्से में आई हुई है। जिससे वर्तमान में उक्त परवाना संख्या 24 में वर्णित भूमि अप्रार्थी संख्या 3 मुन्नालाल के कब्जे स्वामित्व की भूमि है। उक्त भूमि से प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है। प्रश्नगत परवाने की भूमि कभी भी रास्ते की भूमि नही रही है। परवाना संख्या 24 दिनांक 3.1.1965 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का किसी भी प्रकार का कोई मालकाना अधिकार, स्वतत्व, हित, या रस उत्पन्न नही हुआ है। अप्रार्थी संख्या 3 मुन्नालालजी के कब्जे स्वामित्व की भूमि के पश्चिम दिशा में आम रास्ता है। अप्रार्थी संख्या 3 से 10 द्वारा रास्ते को अवरोध करने का कथन गलत है। अप्रार्थी संख्या 3 ने प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध मे दिवानी न्यायालय मे वर्ष 1996 में दिवानी वाद संख्या 34 / 1996 प्रस्तुत किया था, जिसका निर्णय तत्कालीन सिविल न्यायाधीश (क.ख.) सिरोही दिनांक 7.12. 2004 को पारित किया है, जिसमे अप्रार्थी संख्या 3 के वाद को आंशिक रुप से स्वीकार किया गया है। उक्त बाद के निर्णय में भी तनकी संख्या 7 का निर्णय वादी के पक्ष में व वाद के प्रतिवादीगण के विरुद्ध किया गया है। प्रतिवादीगण में छगनलाल पुत्र सदारामजी रावल निवासी पालडी आर बतौर प्रतिवादी संख्या 4 पक्षकार है, लेकिन प्रार्थी ने आवश्यक तथ्यो को छुपाकर यह निगरानी आवेदन गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है, जो प्रथम दृष्टिया काबिल खारीज के है। यह कि ग्राम पंचायत रामपुरा द्वारा नोटिस दिनांक 22.5.1996 गलत रूप से जारी किया गया था एवं इस नोटिस को सक्षम दिवानी न्यायालय ने वाद संख्या 34/96 में पारित निर्णय दिनांक 7.12.2004 के द्वारा अवैध प्रभावहीन व शून्य घोषित किया है तथा अप्रार्थी संख्या 3 मुन्नालाल (जो उक्त दिवानी वाद मे वादी रहा है) के हक में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। दिवानी न्यायालय में तनकी संख्या 7 में यह स्पष्ट निर्णित किया है कि कच्चा परवाना किसी भी रूप से अर्थ हीन नही पाया जाता है तथा उक्त तनकी संख्या 7 का निर्णय अप्रार्थी संख्या 3 मुन्नालाल के हक में किया है। यह कि प्रश्नगत दिवानी न्यायालय ने निर्णय दिनांक 7.12.2004 को पारित किया है। उक्त दिवानी वाद में प्रार्थी पक्षकार नही है। उक्त निर्णय पारित हुये करीब 18 वर्ष हो चुके है। अन्यथा भी प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी संख्या 3 एवं उसके पूर्वरसाधिकारी का मालकना कब्जा आधिपत्य पिछले 57 वर्षो से लगातार है। प्रश्नगत भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि नही है। प्रश्नगत परवाना 1965 में जारी किया गया है जिसे जारी किये हुये करीब 57 वर्ष हो चुके है जिससे प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन प्रथम दृष्टया अवधि बाहर होने से काबिल खारीज के है। दिवानी न्यायालय ने तनकी संख्या–1 का निर्णय अप्रार्थी संख्या 3 के हक में निणित किया है जिसमे यह स्पष्ट है कि परवाना दिनांक 3.1.1965 का ग्राम पंचायत रामपुरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पिता के नाम से जारी किया गया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी के पिता द्वारा परवाने को छलपूर्वक प्राप्त करने का कथन किसी भी रूप से माने जाने योग्य नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी संख्या 3 एवं उसके पूर्वरसाधिकारीयों का कब्जा आधिपत्य सन 1965 से लगातार चला आ रहा है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी की यह निगरानी मियाद बाहर होने से कानूनन परिपोषणीय नही है। अतः प्रार्थी का निगरानी

......पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

आवेदन खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 3 व 5 से 10 के अधिवक्ता के कथनों के जवाब में प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 31 के तहत परवाना जारी करने का कोई हक अधिकार नही है ऐसी स्थिति में, उक्त परवाना आरम्भतः शून्य है तथा ऐसे शून्य आदेशों के विरुद्ध किसी भी समय निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा श्री भूराराम पुत्र वनाजी रावल, निवासी– पालडी को रामपुरा आबादी क्षेत्र में घास फूस रखने के लिये क्षेत्रफल 40x40 फीट कुल 1600 वर्गफीट भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 31 के तहत आवंटित कर कच्चा परवाना संख्या 24 दिनांक 03.1.1965 को जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा श्री भूराराम पुत्र वनाजी रावल, निवासी– पालडी को उक्त भूमि का कच्चा परवाना संख्या 24 दिनांक 03.1.1965 को घास फूस रखने के लिये जारी किया गया है। उक्त कच्चा परवाना संख्या 24 में अंकितानुसार उक्त भूमि को बेचने का अधिकार काश्तकार को नही है। इस प्रकार, यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा श्री भूराराम पुत्र वनाजी रावल, निवासी– पालडी को उक्त भूमि का स्थाई रुप से आवंटन नही किया गया है, बल्कि श्री भूराराम पुत्र वनाजी रावल, निवासी– पालडी को घास फूस रखने के लिये उक्त भूमि का कच्चा परवाना जारी किया गया है एवं इस कच्चा परवाना के आधार पर श्री भूराराम पुत्र वनाजी रावल अथवा उनके उत्तराधिकारियों को उक्त भूमि में किसी भी प्रकार के मालिकाना हक अधिकार पैदा नही होते है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा जिला कलक्टर, सिरोही को पत्र क्रमांकःजांच/परिवाद/सतर्कता/पंचायत/895–97 दिनांक 14.2.1996 के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा जारी कच्चा परवाना राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 31 के तहत जारी किया जाना गलत एवं अवैध है एवं मुन्नालाल द्वारा की गई कांटो की बाड के आगे आम रास्ता है तथा बाड कांटो की की जाने से आमरास्ता से छगनलाल के भूखण्ड पर जाने का रास्ता अवरुद्ध है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा जारी उक्त कच्चा परवाना की भूमि से आम रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 31 के तहत ग्राम पंचायत को भूमि आवंटन करने का अधिकार नही है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा जारी कच्चा परवाना संख्या 24 दिनांक 03.1.1965 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा श्री भूराराम पुत्र वनाजी रावल, निवासी– पालडी के पक्ष में जारी कच्चा परवाना संख्या 24 दिनांक 03.1.1965 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही